उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या 523/2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादून:: दिनांक:: 29 जून, 2017

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है,

अतएव, अब, राज्यपाल, "उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम सं0 06 वर्ष 2017)" की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित वर्ग के अधिकारियों को नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(क) राज्य कर प्रधान आयुक्त/मुख्य आयुक्त;
(ख) राज्य कर आयुक्त;
(ग) राज्य कर विशेष आयुक्त;
(घ) राज्य कर अपर आयुक्त;
(ङ) राज्य कर संयुक्त आयुक्त;
(च) राज्य कर उपायुक्त;
(छ) राज्य कर सहायक आयुक्त;
(ज) राज्य माल और सेवा कर अधिकारी; और
(झ) राज्य माल और सेवा कर निरीक्षक।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

सं0 523/2017/9(120)/XXVII(8)/2017तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
2– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉं इस आशय से प्रेषित की इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉं वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3– भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
4– अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5– एन0आई0सी0
6– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.523/ 2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 29 June, 2017 for general information

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 523/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated:: 29 June, 2017

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 3 of the "the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 06 of 2017)", the Governor is pleased to allow to appoint the following classes of officers to carry out the purposes of the said Act and rules made there under.

(a) Principal Commissioner or Chief Commissioner of State tax;
(b) Commissioner of State tax;
(c) Special Commissioners of State tax;
(d) Additional Commissioners of State tax;
(e) Joint Commissioners of State tax;
(f) Deputy Commissioners of State tax;
(g) Assistant Commissioners of State tax;
(h) State goods and service tax officer; and
(i) State goods and service tax Inspector.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

(Radha Raturi)
Principal Secretary